

28-3-19

पत्रावली के बाबत हुयी वादी स्व वादी के
वकील को एक-ए कर कर-ए आवाज
लगाई गई। वादी स्व उनके वकील
उपस्थित नहीं हैं अतः वाद वादी
अदम हाजरी व अदम पैरवी के
खारिज किया जाता है पत्रावली
केवल शुद्ध होकर तब ही एक
के तब ही दफ्तर दायित्व है।